प्रेस विज्ञप्ति
21/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने अखिलेश यादव, जयनंदन यादव और दिनेश यादव (सभी भाई कट्टर और आदतन अपराधी) के खिलाफ माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए कोर्ट, पटना) के समक्ष दिनांक 14/08/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है और माननीय न्यायालय ने दिनांक 14/08/2024 को इसका संज्ञान लिया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा अखिलेश यादव, जयनंदन यादव और दिनेश यादव के खिलाफ आईपीसी, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि अखिलेश यादव, उनके भाई जयनंदन यादव और दिनेश यादव विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जैसे- आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती और लूटपाट | इन आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ ये सभी भाई हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल में भी शामिल रहे है और ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध आय अर्जित की और अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में इसका उपयोग किया।

जांच के दौरान, एक अन्तरिम जब्ती आदेश जारी किया गया, जिसमें अखिलेश यादव, जयनंदन यादव और दिनेश यादव द्वारा उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित 2.08 करोड़ रुपये (लगभग) की 29 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया जिसमे कृषि भूमि और आवास शामिल है, जिसकी बाद में माननीय निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा पुष्टि कर दी गयी|